रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33002/99
REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2000/फाल्गुन 26, 1921 [रा०रा०रा०क्षे०दि० 68 71. 73
No. 10] DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2000/PHALGUNA 26, 1921 [N.C.T.D. 68, 71. 73

भाग--IV
PART--IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of the Department of National Capital Territory Administration other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 मार्च, 2000

फा. 27/23/85-न्याय-2/अति. फा./खण्ड-2/195.---जनसाधारण की जानकारी के लिये निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :---

"कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) ये विनियम उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति विनियम 1998 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं --

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन विनियमों में :---

(क) "अधिनियम" का अर्थ कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) है;

(ख) "राज्य प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत गठित दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण;

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष;

(घ) "समिति" का अर्थ उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति;

(ङ) "उच्च न्यायालय" का अर्थ नई दिल्ली पर दिल्ली उच्च न्यायालय;

(च) "कानूनी सेवा अधिवक्ता" का अर्थ कानूनी [illegible] लिये [illegible] अधिवक्ता;

(छ) "सदस्य" [illegible] समिति का सदस्य;

(ज) "सचिव" का अर्थ [illegible] धारा 8(क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियुक्त समिति का सचिव;

(झ) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन जो परिभाषित नहीं है अधिनियम में नियत अर्थ ही होगा।

3. धारा 8–क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा योग्यता :—

(1) उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में अध्यक्ष सहित आठ सदस्य और निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:

(2) पदेन सदस्य

(1) सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

(2) सचिव (वित्त विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

(3) पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

मुख्य न्यायाधीश नामित सदस्यों की श्रेणी में से चार सदस्यों को नामित करेगा।

(3) नामित सदस्य

कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप जब तक नामांकन के योग्य नहीं होगा तब तक वह :—

(क) स्नातक तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्य में लगा हो जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बच्चे, ग्रामीण और शहरी श्रमिक सम्मिलित हैं; अथवा

(ख) दो अधिवक्ता जो एक वर्ष की अवधि के लिये मुफ्त कानूनी सेवा में रुचि रखते हों; अथवा

(ग) चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा किसी अन्य विषय का प्रतिष्ठित प्रोफेसर;

(घ) कोई विधि अध्यापक अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कानूनी सेवा स्कीम के क्रियान्वन में विशेष रुचि रखता हो।

4. अधिनियम की धारा 8–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत सचिव की नियुक्ति—

[illegible] उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च [illegible] की सिफारिश पर न्याय[illegible] विनियम [illegible] अनुभव और योग्यताएं रखने वाले [illegible] न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति का सचिव नियुक्त करेंगे।

5. अधिनियम की धारा 8–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति के सचिव का अनुभव तथा योग्यताएं—

कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये जब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो।

प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. उच्च न्यायालय सेवाएं समिति के सदस्यों तथा सचिव की कार्यकाल तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें—

(1) समिति के सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्य के अतिरिक्त एक वर्ष होगा।

(2) जहां एक व्यक्ति पदेन सदस्य के रूप में नामित होता है, ऐसा व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह उस पद अथवा कार्यालय के पद पर नहीं रहता है जिसके कारण उसे पदेन सदस्य के रूप में नामित किया था।

(3) समिति के कार्यालय में सदस्य की रिक्ति उसी तरीके से भरी जायेगी जैसे मूल नियुक्त सदस्य की होती है तथा नामित व्यक्ति उसी कार्यकाल तक रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

(4) सदस्य को बैठक में उपस्थित होने के लिये 300 रुपये यात्रा व्यय दिया जायेगा।

(5) सचिव का कार्यकाल दो वर्ष का होगा अथवा 60 वर्ष की आयु तक इसमें जो भी पहले हो।

(6) वेतन, भत्ते, लाभ तथा पात्रता जैसे सभी मामलों में नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा जैसा कि उसके मूल कैडर में उस व्यक्ति पर समान पदधारी पर लागू है तथा अध्यक्ष द्वारा तैयार मानदेय प्राप्त करेगा।

(7) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी।

(8) जहां तक अनुशासनात्मक मामलों का संबंध है सचिव अपने मूल कैडर की सेवा शर्तों से नियंत्रित होगा।

7. समिति की शक्तियां तथा कार्य :—

(1) जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, कानूनी सेवाएं कार्यक्रम संचालित और क्रियान्वयन करना: